

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जिम्मी मित्तल बनाम जगसीर सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए नम्बर 222 सन 2024

जी सी एम एस नम्बर 2024 / 1111

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जतन

नम्बर न जारी है
प्रकाम तो हुक
हुक की तारीख
में जारी हुए

तामिल
हुकम

18/11/2024

वादी जिम्मी मित्तल पून भारत भूयण निवासी वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02/12/2024 को पेश हो।

12/12/24

वादी की तलबी प्राप्त नहीं। प्रतिवादीगण की तलबी पंजीकृत डाक से करवाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वारंते तलबी दिनांक 12/12/24 को पेश हो।

483
4/12/24

12/12/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया। श्रीमान 10 प्रतिसूच्य अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

Kamesh

26/12/24

अधिवक्तागण उपस्थित। वरस सुनी गई। पत्रावली वारंते आदेश दिनांक 01/01/25 को पेश हो।

01/01/25

अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटिस किया। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर शामिल सूत्र हो।

Note
press
[Signature]



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर